संख्याः3/2292/ई-1/तेरह-2022-18/17 (टी.सी.)

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,

उत्तर प्रदेश।

आबकारी अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 02 सितम्बर, 2022

विषयः- विभागीय कार्यवाहियों में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आबकारी विभाग के अधिकारियों के विरूद्ध संस्थित विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाहियों में मण्डलायुक्त गण को जॉच अधिकारी नामित किया गया है। कई मण्डलायुक्तों द्वारा विभागीय कार्यवाही से संबंधित प्रकरण में शासन स्तर से प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने का अनुरोध किया जाता है और शासन द्वारा इस सम्बन्ध में आदेश निर्गत किये जाते हैं। इस प्रक्रिया में प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आबकारी विभाग के अधिकारियों के विरूद्ध संस्थित विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाहियों में विभाग का पक्ष रखने हेतु संबंधित मण्डल के उप आबकारी आयुक्त, यदि वह स्वयं प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त न हों तो, उनको प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किया जाता है। यदि संबंधित उप आबकारी आयुक्त प्रकरण में स्वयं अन्तर्ग्रस्त हैं, ऐसी स्थिति मण्डलायुक्त संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को प्रेषित करेंगे।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)

अपर मुख्य सचिव

संख्याः 3/2292/(1)ई-1/तेरह-2022, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार, उत्तर प्रदेश।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)

संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in